न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 404/2016

1/1 हीरालाल
1/2 महेन्द्र
पुत्रगण स्व0 धन्नाराम, जाति जाट, निवासी हरिपुरा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
1/3 श्रीमती भरपाई पत्नि स्व0 धन्नाराम, जाति जाट, निवासी हरिपुरा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
1/4 श्रीमती चन्द्रकला पत्नि मानसिंह
1/5 श्रीमती मुन्नी पत्नि जसवन्त,
पुत्रियां स्व0 धन्नाराम, जाति जाट, निवासी हरिपुरा, तहसील सूरजगढ, जिला

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. होशियार सिंह पुत्र स्व0 पोकरराम, जाति जाट, निवासी हरिपुरा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
2. रामकिशन पुत्र स्व0 पोकरराम, जाति जाट, निवासी हरिपुरा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
3. श्रीमती मणी पत्नि दरियासिंह
4. श्रीमती बरजी पत्नि मनोहर
पुत्रियां स्व0 पोकरराम, जाति जाट, निवासी हरिपुरा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
5. श्रीमती भतेरी पत्नि बलवन्त पुत्री स्व0 पोकरराम, जाति जाट, निवासी हरपालु (रामधन की) तहसील राजगढ, जिला चूरू (राज0)
6. श्रीमती सुमित्रा पत्नि स्व0 भरतसिंह पुत्री स्व0 पोकरराम, जाति जाट, निवासी कुहाडवास, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं।
7. अमीलाल
8. मालीराम
पुत्रगण स्व0 हरसुख, जाति जाट, निवासी हरिपुरा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
9. श्रीमती मनेश पत्नि बलवीर
10. श्रीमती सुशीला पत्नि जयवीर
पुत्रियां मालीराम, जाति जाट, निवासी बारडा, तहसील व जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)

11/1 श्रीमती सरोज पत्नि स्व0 बल्लाराम
11/2 रविन्द्र पुत्र स्व0 बल्लाराम
जाति जाट, निवासी हरिपुरा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज0)
11/3 श्रीमती अन्नु पत्नि मनोज पुत्री स्व0 बल्लाराम, जाति जाट, निवासी बिशनपुरा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज0)
11/4 सुश्री मुकेश पुत्री स्व0 बल्लाराम, जाति जाट, निवासी हरिपुरा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं (राज0)
11/5 कुमारी सुप्रिया पुत्री स्व0 बल्लाराम, जाति जाट, निवासी हरिपुरा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं नाबालिग जरिये वलिया कुदरती श्रीमती सरोज पत्नि स्व0 बल्लाराम, जाति जाट, निवासी हरिपुरा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं माता मुद्द
12. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं (राज0)

––रेस्पोन्डेन्ट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:22:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील अ0धारा 75 राज0 भू0–राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील आदेश तहसीलदार तहसील सूरजगढ दिनांक 17.06.2015 बाबत नामान्तरकरण संख्या 5 बाबत जमीन ख0न0 55, ख0न0 138, ख0न0 51, ख0न0 54, ख0न0 52, ख0न0 53, ख0न0 50, ख0न0 137, ख0न0 139 वाके ग्राम हरिपुरा तहत तहसील सूरजगढ

1. श्री संदीप काजला, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित
2. श्री शीशराम सैनी, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 1, 7 व 8 की ओर से उपस्थित
3. श्री ओमप्रकाश सैनी, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 9 व 10 की ओर से उपस्थित
4. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 12 की ओर से उपस्थित
5. रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगा0 6, 11/1 लगा0 11/5 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 08.06.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार सूरजगढ के आदेश दिनांक 17.06.2015 नामान्तरकरण संख्या 5, ख0न0 55, ख0न0 138, ख0न0 51, ख0न0 54, ख0न0 52, ख0न0 53, ख0न0 50, ख0न0 137, ख0न0 139 वाके ग्राम हरिपुरा के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट नं0 1 होशियार सिंह की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा में दिनांक 15.04.2013 को उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अ0धारा 144 सि0प्र0स0 के तहत पेश किया जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने दिनांक 15.04.2013 को ही मूल आवेदन पत्र की पुश्त पर धारा 144 सि0प्र0स0 के तहत निर्णय (डिक्री) पारित कर मूल प्रार्थना पत्र मय निर्णय (डिक्री) के तहसीलदार सूरजगढ को पालना हेतु प्रेषित कर दिया जो मूल निर्णय व प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ के न्यायालय में है। ग्राम हरिपुरा पहले तहसील चिड़ावा के तहत था व बाद में तहसील सूरजगढ बन जाने से ग्राम हरिपुरा सूरजगढ के तहत है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 होशियारसिह ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2013 में जो तथ्य दर्ज किये गये उसके अनुसार रेस्पोडेन्ट नं0 7 अमीलाल रेस्पोडेन्ट नं0 8 मालीराम व अपीलान्टस के पिता धन्नाराम व रेस्पोडेन्टस नं0 1 से 6 के पिता पोकरराम ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं में दावा उनवानी अमीलाल आदि बनाम राज0 सरकार दावा खाता विभाजन दावा सं0 28/1989 किया जिसमें दिनांक 03.04.1989 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं ने निर्णय पारित कर दिनांक 05.04.1989 को बंटवारे को मान्यता देकर डिक्री पारित की व डिक्री दिनांक 05.04.1989 में रेस्पोडेन्टस नं0 7 व 8 को जमीन ख0न 55 रकबा 1.80 हैक्टर, ख0न0 138 रकबा 1.65 हैक्टर, ख0न0 51 रकबा 0.16 हैक्टर वाके ग्राम हरिपुरा का खातेदार काश्तकार घोषित किया व अपीलान्ट्स के पिता धन्नाराम को जमीन ख0न0 54 रकबा 3.70 हैक्टर, ख0न0 52 रकबा 0.01 हैक्टर कुआ व ख0न0 53 रकबा 0.05 हैक्टर मकानात व ख0न0 50 रकबा 1.40 हैक्टर वाके ग्राम हरिपुरा का खातेदार घोषित किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं0 की अन्तिम डिक्री दिनांक 05.04.1989 की पालना में नामान्तरकरण सं0 5 दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्टस नं0 1 होशियारसिंह के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो के अनुसार रेस्पोडेन्टस नं0 7 व 8 ने अपील उनवानी पोकरराम आदि बनाम धन्नाराम न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर पेश की जो अपील दिनांक 01.09.1989 को खारीज हो गयी। रेस्पोडेन्ट नं0 1 होशियार सिंह के प्रार्थना पत्र के अनुसार रेस्पोडेन्टस नं0 1 से 6 के पिता पोकरराम व रेस्पोडेन्टस नं0 7 व 8 ने अपीलान्ट्स [illegible] धन्नाराम के खिलाफ अपील उनवानी पोकरराम आदि बनाम धन्नाराम आदि न्यायालय [illegible] मण्डल अजमेर में की। दौराने अपील धन्नाराम का देहान्त हो जाने के कारण उसके वारिसा[illegible] अपीलान्ट व बल्लाराम को रेस्पोडेन्टस नं0 1/1 से 1/6 बनाया गया। [illegible] अजमेर कैम्प जयपुर ने दिनाक 14.11.1995 को निर्णय पारित [illegible] राजस्व अपील अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 01.09.1989 व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 03.04.1989 को निरस्त करने का निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 14.11.1995 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं की अन्तिम डिक्री दिनांक 05.04.1989 को निरस्त करने के लिये निर्णय पारित नही किया। इस कारण अन्तिम डिक्री दिनांक 05.04.1989 निरस्त नहीं हुई है। इसके अलावा निर्णय दिनांक 14.11.1995 में उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के निर्णय दिनांक 03.04.1989

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:22:04 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] निरस्त करने का आदेश है जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को निरस्त करने का आदेश नहीं है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पिता पोकरराम का देहान्त करीब 21 साल से भी अधिक समय पहले हो गया। रेस्पोडेन्टस नं0 1 व 2 व बल्लाराम ने जमीन का विभाजन कर लिया जिसके अनुसार बंटवारे में अन्य जमीन ख0न0 40 बल्लाराम के हिस्से में आयी थी जो अब रेस्पोडेन्टस नं. 11/1 से 11/5 की खातेदारी की है। अपीलान्ट नं0 1 हीरालाल की खातेदारी में बंटवारे में जमीन ख0न0 50 रकबा 0.70 हैक्टर, ख0न0 54 रकबा 1.85 हैक्टर व अपीलान्ट नं0 2 महेन्द्र की खातेदारी में जमीन ख0न0 189/50 रकबा 0.70 हैक्टर, ख0न0 190/54 रकबा 1.85 हैक्टर आयी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमीन ख0न0 52 व ख0न0 53 अपीलान्ट्स नं0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी में है। रेस्पोडेन्ट नं0 8 मालीराम ने जमीन का हस्तान्तरण अपनी लडकियों श्रीमती मनेश व श्रीमती सुशीला के हक में कर दिया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट्स नं0 7 व 8 बंटवारे को चुनौती नहीं दे रहे है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 से 6 के पिता पोकरराम को बंटवारे में उक्त जमीन के अलावा जमीन ख0न0 212 रकबा 2.60 हैक्टर व ख0न0 315 रकबा 1.30 हैक्टर वाके ग्राम जीणी भी मिली थी जो उक्त पोकरराम के नाम दर्ज हुई जो वर्तमान में रेस्पोडेन्टस नं0 1 व 2 के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने दिनांक 15.04.2013 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा में प्रार्थना पत्र अ0धारा 144 सि0प्र0स0 पेश किया व दिनांक 15.04.2013 को ही मूल प्रार्थना पत्र की पुश्त पर निर्णय पारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने तहसीलदार तहसील सूरजगढ को प्रेषित किया जिसको अपास्त करवाने के लिये अपीलान्ट्स की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि न्यायालय तहसीलदार तहसील सुरजगढ को आदेश दिनांक 17.06.2015 खिलाफ कानून व अवैध व शून्य है। न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर कैम्प जयपुर के निर्णय दिनांक 14.11.1995 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं की डिक्री दिनांक 05.04.1989 को निरस्त करने का उल्लेख नही है। इस कारण आदेश जैर बहस अपील अवैध है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने प्रार्थना पत्र अ0धारा 144 सि0प्र0स0 में अपीलान्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया व प्रार्थना पत्र पेश होने के रोज ही बिना प्रार्थना पत्र को दर्ज किये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने प्रार्थना पत्र की पुश्त पर गलत आदेश पारित कर मूल आदेश व मूल प्रार्थना पत्र को ही तहसीलदार सूरजगढ को भेज दिया। सि0प्र0स0 की धारा 2:2: में डिकी परिभाषित की गयी है। जिसमें धारा 144 सि0प्र0स0 के तहत पारित आदेश को शामिल किया गया है। इस कारण पक्षकारान को बिना सुने ही आदेश पारित किया गया जो अवैध है। उक्त निर्णय दिनांक 14.11.1995 में दर्ज पक्षकारान पोकरराम, बल्लाराम की मृत्यु हो चुकी व मृत व्यक्तियों के खिलाफ पारित आदेश शून्य है। अदालत मातहत को सुनवाई के लिये पक्षकारान को नोटिस देना चाहिये था बिना नोटिस के ही विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। राजस्थान रेवेन्यु कोर्टस मेन्युअल भाग–2 के प्रावधान के अनुसार निर्णय व डिकी की प्रति पालनार्थ सक्षम न्यायालय द्वारा प्रेषित की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियम के अनुसार कार्यवाही नहीं हुई। भारतीय मियाद अधिनियम के अनुच्छेद 136 में मियाद 12 साल है। निर्णय व डिकी की पालना निर्णय व डिकी के रोज से 12 साल के बाद नही की जा सकती। धारा 144 सि0प्र0स0 के तहत कार्यवाही करने के लिये भी मियाद निर्णय के रोज से 12 साल है। इस प्रकार तहसीलदार सूरजगढ ने करीब 17 साल [illegible] पारित करने में कानूनी भूल की है। नामान्तरकरण सं0 5 में दर्ज व्यक्ति धन्नाराम [illegible] म का देहान्त हो गया व इनके विधिक प्रतिनिधिगण को पक्षकार नही [illegible] इस प्रकार मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ पारित आदेश शून्य है। उक्त निर्णय दिनांक 14.11.1995 में दर्ज पोकरराम का देहान्त करीब 21 साल से भी पहले हो गया। [illegible] प्रतिनिधिगण रेस्पोडेन्टस नं0 1 से 6 को पक्षकार बनाया है। उक्त निर्णय में दर्ज बल्लाराम को देहान्त हो गया व उसके वारिसान को रेस्पोडेन्टस नं0 11/1 से 11/5 पक्षकार बनाया है। रेस्पोडेन्ट नं0 9 व 10 को रजिस्टर्ड विलेख से हस्तान्तरित कर दी। इस कारण रेस्पोडेन्ट्स नं0 9 व 10 को पक्षकार बनाया है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर उक्त विवादित जमीन के बाबत नामान्रकरण संख्या 5 पर तहसीलदार सूरजगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2015 को निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:22:04 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगा0 6, 11/1 लगा0 11/5 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। उनकी अनुपस्थिति मे बहस सुनी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान दस्तावेज सूची किता 1 पेश कर अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर कैम्प जयपुर के निर्णय दिनांक 14.11.1995 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं की डिक्री दिनांक 05.04.1989 को निरस्त करने का उल्लेख नही है। इस कारण आदेश जैर बहस अपील अवैध है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने प्रार्थना पत्र अ0धारा 144 सि0प्र0स0 में अपीलान्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया व प्रार्थना पत्र पेश होने के रोज ही बिना प्रार्थना पत्र को दर्ज किये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने प्रार्थना पत्र की पुश्त पर गलत आदेश पारित कर मूल आदेश व मूल प्रार्थना पत्र को ही तहसीलदार सूरजगढ को भेज दिया। सि0प्र0स0 की धारा 2:2 में डिक्री परिभाषित की गयी है। जिसमें धारा 144 सि0प्र0स0 के तहत पारित आदेश को शामिल किया गया है। इस कारण पक्षकारान को बिना सुने ही आदेश पारित किया गया जो अवैध है। उक्त निर्णय दिनांक 14.11.1995 में दर्ज पक्षकारान पोकरराम, बल्लाराम की मृत्यु हो चुकी व मृत व्यक्तियों के खिलाफ पारित आदेश शून्य है। अदालत मातहत को सुनवाई के लिये पक्षकारान को नोटिस देना चाहिये था बिना नोटिस के ही विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। राजस्थान रेवेन्यु कोर्टस मेन्युअल भाग–2 के प्रावधान के अनुसार निर्णय व डिक्री की प्रति पालनार्थ सक्षम न्यायालय द्वारा प्रेषित की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियम के अनुसार कार्यवाही नहीं हुई। भारतीय मियाद अधिनियम के अनुच्छेद 136 में मियाद 12 साल है। निर्णय व डिक्री की पालना निर्णय व डिक्री के रोज से 12 साल के बाद नही की जा सकती। धारा 144 सि0प्र0स0 के तहत कार्यवाही करने के लिये भी मियाद निर्णय के रोज से 12 साल है। इस प्रकार तहसीलदार सूरजगढ ने करीब 17 साल बाद में मियाद बाहर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। नामान्तरकरण सं0 5 में दर्ज व्यक्ति धन्नाराम व पोकरराम का देहान्त हो गया व इनके विधिक प्रतिनिधिगण को पक्षकार नही बनाया व न नोटिस दिया। इस प्रकार मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ पारित आदेश शून्य है। उक्त निर्णय दिनांक 14.11.1995 में दर्ज पोकरराम का देहान्त करीब 21 साल से भी पहले हो गया। इस कारण उसके विधिक प्रतिनिधिगण रेस्पोडेन्टस नं0 1 से 6 को पक्षकार बनाया है। उक्त निर्णय में दर्ज बल्लाराम को देहान्त हो गया व उसके वारिसान को रेस्पोडेन्टस नं0 11/1 से 11/5 पक्षकार बनाया है। रेस्पोडेन्ट नं0 9 व 10 को रजिस्टर्ड विलेख से हस्तान्तरित कर दी। इस कारण रेस्पोडेन्ट्स नं0 9 व 10 को पक्षकार बनाया है। अदालत मातहत द्वारा मुझे बिना सुने एवं बिना नोटिस जारी किये उक्त विवादित नामान्तरकरण स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर उक्त विवादित जमीन के बाबत नामान्रकरण संख्या 5 पर तहसीलदार सूरजगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2015 को निरस्त किया जावे।

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1, 7 व 8 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट्स की अपील अन्दर मियाद नही है। इस संबंध मे एक अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। इस न्यायालय मे अपीलान्ट्स की यह अपील चलने लायक नही है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज फरमाई जावे।

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट सं0 9 व 10 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट्स की अपील अन्दर मियाद नही है। अपीलान्ट्स द्वारा 2 साल बाद अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 12 ने अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण नियमानुसार भरा गया है जिसमे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:22:04 IST
Reason: SelfAttested

ई कानूनी त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं दस्तावेजों से साफ जाहिर है कि न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर कैम्प जयपुर के निर्णय दिनांक 14.11.1995 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं की डिक्री दिनांक 05.04.1989 को निरस्त करने का उल्लेख नही है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अ0धारा 144 सि0प्र0स0 में अपीलान्ट्स को पक्षकार नहीं बनाये जाने से पक्षकारान को बिना सुने ही आदेश पारित किया गया जो उचित नही है। उक्त निर्णय दिनांक 14.11.1995 में दर्ज पक्षकारान पोकरराम, बल्लाराम की मृत्यु हो चुकी व मृत व्यक्तियों के खिलाफ आदेश पारित किया है। अदालत मातहत को सुनवाई के लिये पक्षकारान को नोटिस देना चाहिये था। भारतीय मियाद अधिनियम के अनुच्छेद 136 में मियाद 12 साल है। निर्णय व डिक्री की पालना निर्णय व डिक्री के रोज से 12 साल के बाद नही की जा सकती। प्रश्नगत प्रकरण मे अदालत मातहत द्वारा इस बाबत ध्यान नही दिया गया। नामान्तरकरण सं0 5 में दर्ज व्यक्ति धन्नाराम व पोकरराम का देहान्त हो गया व इनके विधिक प्रतिनिधिगण को पक्षकार नही बनाया व न नोटिस दिया। इस प्रकार मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित किये गये है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट्स उचित प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर उक्त विवादित जमीन के बाबत नामान्तरकरण संख्या 5 पर तहसीलदार सूरजगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2015 को निरस्त किया जाता है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
जिला झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:22:04 IST
Reason: SelfAttested